पत्र संख्या– 15/डी0 एल0 ए0–पटना (रा0उ0प0)–14/12-1769/रा0 दिनांक– 09-07-13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना, दिनांक....................

सं...रा. चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम मौजा–गोपालपुर, चादर नं0– 2, थाना नं0–166, परगना–मनेर, थाना–बिक्रम के जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–गोपालपुर, थाना नं0–166 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 5.385 एकड़ के बराबर होता है, और जिनका सर्वे खेसरा संख्या–2093, 2094, 2095, 2097, 2099, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2110, 2111, 1233, 2084 एवं 1812 सभी अंश भाग वो खेसरा संख्या 2100, 2101, 2102, 2107 एवं 2109 सभी पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर : खेसरा संख्या 2094, 2093, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 1812, 2084 एवं 1233 सभी अंश भाग।

पूरब : मौजा–पैनापुर, थाना नं0–172 का सीवाना

दक्षिण : खेसरा सं0–2095, 2097, 2099, 2111, 2110 एवं 1233 सभी अंश भाग।

पश्चिम : मौजा–शीरवर, थाना नं0–173 का सीवाना।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानो की आवश्यकता नही है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 स्न 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

Sd/-
समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव

D/BSRDCL WORK/Adhigoshna/Golapur/166

ज्ञापांक सं0– 1769 /रा0 दिनांकः – 09 – 07 – 13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

8/7/13

सरकार के अवर सचिव।